

# कार्यालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बाडी, जिला धौलपुर

क्रमांक - 95

दिनांक - 18/3/2020

## आम-सूचना

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम की दिशा में जारी परिपत्र क्रमांक 08/पी.आई./2020 दिनांक 17.03.2020 के माध्यम से प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 18.03.2020 से दिनांक 31.03.2020 तक के कार्य दिवस में केवल निम्न प्रकृति के अत्यावश्यक प्रकरणों की सुनवाई की जावेगी,


1. जमानत प्रार्थना पत्र
2. रिमाण्ड प्रकरण
3. व्यादेश/स्थगन सम्बन्धी प्रकरण
4. सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र
5. अपील की दशा में सजा स्थगन प्रार्थना पत्र
6. एवं ऐसे अन्य प्रकरण जो कि न्यायालय की राय में अत्यावश्यक प्रकृति के हों।

उक्त प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त शेष समस्त प्रकरणों की विधिवत् सुनवाई हेतु निम्न तिथियां सुनिश्चित की जाती हैं। किसी दीवानी/फौजदारी प्रकरण में यदि स्थगन आदेश प्रभावी है तो वह आगामी सुनवाई की तिथि तक प्रभावी रहेगा।

वर्तमान नियत तिथि	आगामी नियत तिथि
18.03.2020	01.05.2020
19.03.2020	02.05.2020
20.03.2020	04.05.2020
21.03.2020	05.05.2020
23.03.2020	06.05.2020
24.03.2020	07.05.2020
26.03.2020	08.05.2020
27.03.2020	11.05.2020
28.03.2020	12.05.2020
30.03.2020	13.05.2020
31.03.2020	14.05.2020


परिवर्तित तिथियाँ शीघ्र ही सीआईएस 3.0 पर अपडेट कर दी जावेगी। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गयी है कि यदि कोई पक्षकार अपने प्रकरण को अत्यावश्यक प्रकृति का मानकर सुनवाई चाहता है तो वह इस सम्बन्ध में कारणों को अंकित करते हुए न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की दशा में यदि न्यायालय सुनवाई के पश्चात् यह उचित पाता है कि मामला वास्तव में अत्यावश्यक प्रकृति का है तो वह ऐसे प्रकरण की सुनवाई हेतु अग्रसर होगा।

नवीन प्रकरणों की संस्थिति पूर्व की भांति जारी रहेगी परन्तु यह प्रयास किया जावे कि उक्त स्थिति में भी केवल आवश्यक व्यक्ति ही न्यायालय परिसर में उपस्थित आवें।

  
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
बाडी, जिला धौलपुर

प्रतिलिपि :

1. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, बाडी को प्रेषित कर अनुरोध है कि इस सूचना से समस्त अभिभाषकगण को सूचित करावे तथा अभिभाषकगण से भी अनुरोध करे कि वे अपने पक्षकारान को प्रकरणों की तारीखों की सूचना मोबाईल आदि से दे ताकि वे न्यायालय में आने से बचे और संक्रमण मुक्त व सुरक्षित रहे।
2. आदेश की प्रति सिस्टम असिस्टेंट को प्रेषित कर लेख है कि आम सूचना न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करे।
3. सूचना की प्रति न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकायी जावे।
4. कार्यालय प्रति।

  
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
बाडी, जिला धौलपुर

कार्यालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बाडी, जिला धौलपुर

क्रमांक 10

दिनांक 18/3/2020

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम की दिशा में जारी परिपत्र क्रमांक 08/पी.आई./2020 दिनांक 17.03.2020 के माध्यम से प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में कार्यालय हाजा में कार्यरत चतुर्थश्रेणी कर्मचारी/हॉमगार्ड कार्यालय चैम्बर, डाईस, न्यायालय, ऑफिस टेबिल, कुर्सियां, कम्प्युटर टेबिल/कम्प्युटर एवं न्यायालय ऑफिस के प्रत्येक शाखा में सुबह प्रातः 9.30 बजे लाईजोल से पौछा एवं दोपहर 2.00 बजे पुनः समस्त स्थानों पर लाईजोल से पौछा लगायेंगे एवं श्री विजयसिंह नाजिर उक्त कार्य का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रतिदिन अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करेंगे।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
बाडी, जिला धौलपुर

क्रमांक : 98-101

दिनांक : 18/3/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर।
2. सहायक नाजिर कार्यालय हाजा को पालनार्थ
3. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी/हॉमगार्ड कार्यालय हाजा को पालनार्थ।
3. कार्यालय प्रति।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
बाडी, जिला धौलपुर